PUBLIC का सवाल ? जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2020//pks/04 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | बुधवार, 15 अप्रैल 2020

राजस्थान सरकार पहना रही गुजरात के अवैध शराब की बिक्री के मॉडल को विधिक जामा|

वित्त सचिव राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया अजीबोगरीब आदेश|

दिनांक 14/04/2020 को वित्त विभाग,राजस्थान सरकार द्वारा एक अजीबोगरीब आदेश जारी किया गया,जिसमे कहा गया कि राजस्थान स्टेट ब्रेवरीज कारपोरेशन और राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स के गोदामों और डिपो शराब से भरे हुए है,साथ ही कई जगह शराब के सैंकड़ों ट्रक भी खड़े हुए है,जिनमे चोरी होने से राजस्व की हानि होने का डर है अतः इस शराब को उन लायिसेंसियों की दुकानों और गोदामों में निर्गमित की जा सकेगी जिनके पास पर्याप्त जगह

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(1)वित्त/आब0/2020 दिनांक: 14 अप्रेल, 2020

- आयुक्त,
  आबकारी विभाग, राजस्थान
- महाप्रबंधक,
  राज0 स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0, जयपुर
- कार्यकारी निदेशक
  राज0 स्टेट ब्रेवरीज कॉर्पोरेश लि0, जयपुर

आदेश

वर्ष 2020–21 हेतु आबकारी बन्दोबस्त की प्रकिया पूर्ण होने को है। कोविड–19 की वजह से प्रदेश में 22 मार्च, 2020 से शराब की दुकानें बंद हैं। जिसकी वजह से राज0 स्टेट ब्रेवरीज कॉर्पोरेशन एवं राज0 स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स के विभिन्न स्थानों पर स्थित गोदाम या डिपो हैं जो देशी व भारत निर्मित विदेशी शराब से भरे हैं। साथ ही जिन गोदामों में जगह की कमी है उन गोदामों या डिपो के बाहर भी शराब से भरे हुए सैंकड़ों ट्रक खड़े हैं। उनके चोरी होने व उससे राजस्व हानि होने की भी संभावना है। जिनकी सुरक्षा भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि गोदाम या डिपो के बाहर जो शराब से भरे ट्रक खड़े हैं उनको तत्काल खाली कर यथासम्भव गोदाम में रखा जावे साथ ही जिन लाईसेंसधारियों के पास दुकान एवं गोदाम में पर्याप्त भण्डारण की व्यवस्था है उनकी मांग पर शराब निर्गमित की जा सकती है बशर्ते कि **अग्रिम आदेश तक इस शराब का उपभोक्ताओं को किसी भी तरह से विक्रय नहीं करेंगे।** उपरोक्त के संबंध में चालान, परमिट जारी करने एवं राजकोष में राजस्व नियमानुसार जमा होना सुनिश्चित करें। इस संबंध में विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जो क्षेत्र कर्फ्यूग्रस्त घोषित है, उन क्षेत्रों के मदिरा लाईसेंसधारियों को शराब का निर्गमन नहीं किया जाए। शराब के लोडिंग व अनलोडिंग के उपरोक्त कार्य में कोविड–19 के मध्यनजर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन व आदेशों की पूर्ण एवं सख्ती से पालना की जावे।

यह आदेश सक्षम स्तर से स्वीकृत है।

(डॉ0 पृथ्वी)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार।
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर एवं जोधपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।

संयुक्त शासन सचिव

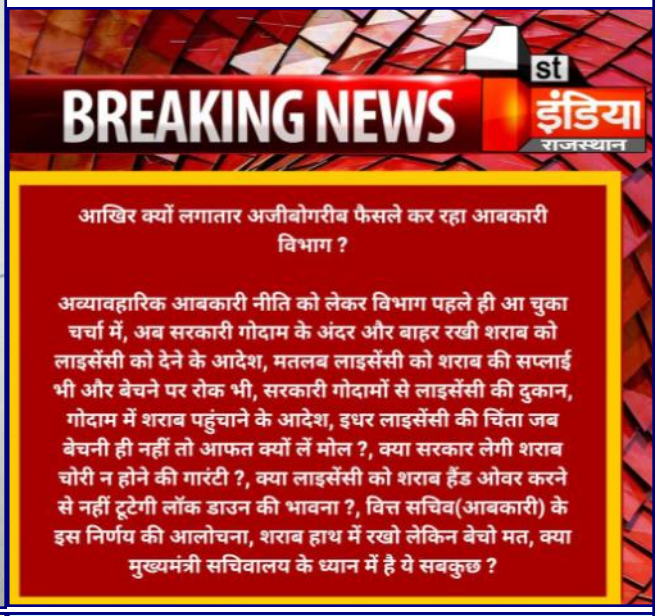

शासन सचिव,वित्त विभाग का विवादित आदेश,

साभार:-फर्स्ट इंडिया राजस्थान द्वारा वायरल किया गया मैसेज

PUBLIC का सवाल? जवाब दो!!! सरकार

www.jawabdosarkar.com

देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

रेफरेंस संख्या -2020/pks/03 E-Newsletter, Issued in Public Interest रविवार, 12 अप्रैल 2020

लॉकडाउन में शराब के ठेकों में चोरी

बेचना था स्टॉक, इसलिए खुद ही करा रहे थे चोरियां

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

patrika.com

जयपुर. लॉकडाउन के दौरान शराब के ठेकों से हो रही चोरियां महज चोरी नहीं हैं, इसके पीछे अलग ही कहानी है। जवाहर नगर, मालपुरा गेट, करधनी, मानसरोवर सहित कई थाना इलाकों में ठेकों से शराब चोरी करने के मामले सामने आए थे। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि अधिकांश चोरियों में ठेका संचालक, कर्मचारी ही लिप्त हैं।

चोरी भी इसलिए की जा रही है, ताकि उनका स्टॉक पूरा हो जाए। करधनी इलाके में पुलिस को ठेके से चोरी की सूचना मिली थी, मौके पर भी पहुंचे और पूछताछ की तो सामने आया कि ठेका संचालक ही स्टॉक निकाल रहे थे।

ठेके की मियाद पूरी, इसलिए...

दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ठेके की मियाद पूरी हो चुकी है और लॉटरी से नए आवंटन भी हो चुके है। लेकिन लॉकडाउन लगने से ठेकों को भी बंद रखना पड़ा। मार्च के शेष बचे 9 दिनों में वह अपने स्टॉक को बेच देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए।

लॉकडाउन के दौरान भी शराब बिक्री को लेकर पुलिस भी सख्त है। पुलिस पर भी मिलीभगत के आरोप लग चुके हैं। ऐसे में पुलिस अधिकारियों ने अवैध रूप से शराब बेच रहे लोगों पर कार्रवाई के लिए कहा है।

अशोक गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त

साभार:-राजस्थान पत्रिका में दिनांक 12/04/2020 को प्रकाशित खबर

राजस्व पर भी तो ध्यान दो सरकार!!!

सख्ती के बावजूद धडल्ले से हो रही अवैध शराब की बिक्री!राजस्व को पहुच रही हानि!!

दो से चार गुनी रेट पर ब्लैक में बेच रहे शराब व्यपारी|

कई दिनों से समाचार पत्रों में पढने में आ रहा था कि लॉकडाउन में शराब की दुकानों पर चोरी की घटनाएं बढ़ गयी है|लेकिन जब आज के समाचार पत्र में इन चोरियों की पोल खुली तो सारा माजरा समझ में आ गया|सरकार ने जब लॉकडाउन की घोषणा की थी उस समय वित्तीय वर्ष समाप्त होने में केवल कुछ दिन ही शेष थे,जिसके चलते पुराने लाईसेंसी अपना स्टॉक नही बेच पाए इसी बीच आबकारी कमिश्नर ने पुराने लायिसेंसियों के स्टॉक कब्जे में लेकर नए लायिसेंसियों को देने के आदेश दे दिए|जिससे शराब कारोबारियों में हडकंप मच गया,क्यूंकि लॉकडाउन के समय हर दूकान में 10 से 20 लाख का स्टॉक बाकि था|मौके का फायदा उठाते हुए शराब व्यवसायियों ने अपनी दुकानों से चोरी छिपे माल निकाल कर दो से चार गुना ब्लैक में बेचना चालू कर दिया|इस तरह शराब व्यवसायियों ने पूरे साल का वह सारा मुनाफा कमा लिया जो उन्हें शराब की ओवररेट,सरकार की सख्ती के चलते बंद होने से, नहीं हो रहा था||

ब्लैक के इस धंधे में,जो शराब व्यवसायी पुलिस की सख्ती के कारण माल नहीं निकाल पा रहे थे उन्होंने अपनी ही दुकानों में चोरियां करवानी चालू कर दी,जिससे ना तो सरकार को हिसाब देना पड़े और ब्लैक करने से जो मुनाफा होवे सो अलग|

पता:-S1 ...6151 पेज 1

पिछली पोस्ट में हमारे द्वारा उठाया गया यह मुद्दा

है|परन्तु यह लाईसेंसी इस शराब को उपभोक्ताओं को अग्रिम आदेश तक विक्रय नहीं करेंगे|

खुद के यहाँ चोरी का डर,मानो शराब लायिसेंसियों की दुकाने पुलिस पहरे में|

राज्य सरकार का यह आदेश सबको हैरत में डाल रहा है,लोगो का कहना है कि यदि सरकार को ही चोरी का डर सता रहा है तो आम लोगो का क्या होगा?क्या सरकार करोड़ों रुपयों के सामान के लिए सुरक्षा इंतजाम उपलब्ध नही करवा सकती?सरकार तो मानो यह सोच रही है कि लायिसेंसियों की दुकाने पुलिस पहरे में है और उनके यहाँ चोर घुस ही नहीं सकते|

बिल्ली को दूध की रखवाली

जानकारो का मानना है कि यह तो बिल्ली को दूध की रखवाली वाला मुहावरा चरितार्थ करने वाली बात हो गयी है|भला लाईसेंसी बिना नफे के यह आफत मौल क्यों लेंगे?यह तो चोरी छुपे ब्लैक में बेचने की छुट देने के समान है|इससे शराब लाईसेंसी लॉकडाउन में ही पूरे साल का मुनाफा शराब की ब्लैक करके कमा लेंगे|अभी ब्लैक मार्केट में शराब की बोतल के 2 गुने से 10 गुने तक वसूली की जा रही है|

सरकार को अपनी छवि ख़राब होने का डर

इस आदेश के पीछे सरकार के मन के डर को साफ़ देखा जा सकता है,अपनी गांधीवादी छवि को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय काफी एतियात बरत रहे है वह शराब की दूकान खोलने का आदेश देकर विपक्ष को कतई यह मौक़ा नहीं देना चाहते है वह उनकी गांधीवादी छवि पर ऊँगली उठाये परन्तु वह कोरोना की वजह से इस वित्तीय संकट में शराब की बिक्री से आने वाले राजस्व को भी नहीं खोना चाहते है,जिसके चलते ही सरकार ने बीच का मार्ग अपनाया है|परन्तु सरकार के इस कदम को प्रदेश में गुजरात में चल रहे अवैध शराब की बिक्री के मॉडल को विधिक जामा पहनाने की कोशिश माना जा रहा है|

लॉकडाउन 2.0 में केन्द्रीय सरकार ने शराब की बिक्री नहीं करने को कहा|

आज भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाईडलाइन में सरकार ने स्पष्ट किया है कि 20 अप्रेल के बाद छुट देने वाले उपक्रमों में शराब,सिगरेट और गुटखे की बिक्री को छुट नहीं दी जाए|ऐसे में उन लोगो के सामने निराशा छा गयी है जो यह सोच रहे थे कि सरकार शराब की बिक्री को लॉक डाउन से छुट देगी परन्तु दोनों सरकारों के इन निर्णयों ने शराब ब्लैक करने वालो की पाँचों उँगलियाँ घी में और सर कढाई में कर दिया है और शराब उपभोक्ताओं के सामने आफत खड़ी कर दी है|